

राजनेत्र

भा० ४० से०

मिशन मिटेशन



विहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना

2011

पत्रांक बि०प्र०स०मि०स००/विविधि-४५/२०१० सं० ४९८...दिनांक १५/११/२०११

(संवा में)

ENTIAL SECTION

सभी जिला पदाधिकारी

विषय:- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन के संबंध में कहना है कि:-

1. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत निष्पादित आवेदनों को डाटाबेस में अपलोड कर प्रतिदिन अचूक रूप से मिशन के सर्वर पर Synchronize किया जाना है। प्रखण्ड स्तर पर इसका सम्पूर्ण दायित्व आई.टी. सहायक एवं नाम निर्दिष्ट लोक सेवक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगा। सभी आई.टी. प्रबंधक/ नोडल पदाधिकारी प्रतिदिन इसका प्रगति प्रतिवेदन ई-मेल से मिशन कार्यालय को भेजेंगे।
2. ध्रमण के क्रम में पाया गया कि अभी भी कई प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालयों में Preprinted Certificate आवेदन के साथ लिया जा रहा है जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की कार्रवाई की जाए।
3. आवेदकों से आवेदन के साथ क्षेत्रीय कर्मचारियों का जाँच प्रतिवेदन कर मांग की जाती है, जो पूर्णतः अनुचित है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व नाम निर्दिष्ट लोक सेवक का है।

अतः इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए एवं इस प्रकार के आवेदन जिस पर पूर्व से क्षेत्रीय कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंकित है, उसे काउन्टर पर किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाए। इससे कार्य अपसंस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। इसे रोकने का पूर्ण दायित्व नामनिर्दिष्ट लोक सेवक का है। इसके साथ ही प्राप्त, निष्पादित तथा लंबित आवेदनों की अद्यतन स्थिति तथा सेवा से संबंधित आवश्यक कागजातों आदि की सूचना-पट्ट पर निश्चित रूप से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए।

बी बी अवॉल्वर्ड

भारत प्रबन्ध  
आपर गिरेन निदेशक



भारत प्रबन्ध  
आपर गिरेन निदेशक

4. अंचल कार्यालयों हारा किंतु किये जाने वाले जाति/आम/आशामी प्रमाण-पत्र किंतु करने की व्यवस्था को शीघ्र ही अनिलाईन किया जाना है। इस हेतु इस कार्यालय में अनिलाईन आवेदन हाइलाईड करने पर तथा पर अद्यतर कार्रवाई करने हेतु किसी एक कमी को विषेष रूप से नाप्रिय करने हए उनका नाम, पदनाम तथा पांचाईन गंधा गिरेन कार्यालय को पर्याय निवार के अन्दर उपलब्ध करायी जाए।

विश्वामित्र

Rajendra  
(ठो बी० राजेन्द्र)  
आपर गिरेन निदेशक